उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
पत्रांकः 354/व0नि0स0-स0/चि0स्वा0प0क0वि0/2023
देहरादूनः दिनांक- 19 दिसम्बर 2023

समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या DO.NO.Z.28015/182/2021-DMCell दिनांक 18 दिसम्बर 2023 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत कुछ दिनों में कुछ राज्यों में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी कम में जनपद स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की जानी अतिआवश्यक है।

अवगत होना चाहे कि कोविड-19 के वेरिएंट JN.1 (BA.2.86.1.1) का कोई भी रोगी उत्तराखण्ड राज्य में रिपोर्ट नही हुआ है।

यद्धपि सतर्कता की दृष्टि से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

1. भारत सरकार द्वारा प्रदत दिशा निर्देश "Operational guidelines for revised surveillance strategy in context of COVID-19" (संलग्न) का अनुपालन किया जाए।
2. जनपद स्तर पर Influenza like Illness (ILI)/Severe Acute Respiratory Illness (SARI) रोगियों की निगरानी की जाये।
3. पर्याप्त संख्या में ILI/SARI रोगियों की कोविड-19 एवं इन्फ्लुएंजा जॉच की जाएं। उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आई0डी0एस0पी0 के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।
4. कोविड-19 प्रबन्धन हेतु चिकित्सालय स्तर पर समस्त तैयारियां सुनिश्चित रखी जायें।
5. आम जनमानस में श्वसन स्वच्छता (Respiratory Hygiene) के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
6. ILI/SARI के लक्षण होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना तथा चिकित्सकीय परामर्श पर ही औषधि का सेवन करना।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

19/12/2023

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख निजि सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, आई0डी0एस0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
7. जिला सर्विलांस अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अनुभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

19/12/2023

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner